न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 707–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–2–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 413/12–13/अपील.

———

1– मुन्नालाल

2– नवलसिंह

पुत्रगण मानसिंह रघुवंशी

निवासीगण सावन तहसील

व जिला अशोकनगर म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– दलवीर कौर पत्नी रामसिंह सिख
2– मिट्ठू पुत्र पंचा
3– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. अवस्थी ।
अनावेदक कं. 3 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07–10–2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 413/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 25–2–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक कमांक 1 का विवादित भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है इसलिए उसे अपील करने का अधिकार नहीं था । कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 1 की अपील को स्वीकार कर आवेदक के पक्ष में किए गए विकयपत्र को शून्य घोषित कर प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय घोषित करने में अवैधानिकता की है ।

यह तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि वर्ष 1975–76 में अनावेदक कमांक 2 को पट्टे पर दी गई थी । अनावेदक कमांक 2 द्वारा उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने के उपरांत तथा संहिता के प्रावधानों के तहत 10 वर्ष बाद आवेदकों को भूमि का विकय किया गया था, इस कारण प्रकरण में संहिता की धारा 165 (7–ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1999 आर.एन. 363, 2004 आर.एन. 183 एवं 2005 आर.एन. 66 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में कभी कोई अनुबंध भूमि विकय का नहीं किया गया । अनावेदक कंमांक 1 अनावेदक कमांक 2 की भूमि हड़पना चाहती थी जब वह सफल नहीं हुई तब उसने पहले दीवानी दावा पेश किया और बाद में उसे लगा कि वह उसमें सफल नहीं होगी तो उसने कलेक्टर के न्यायालय में संहिता की धारा 165 (7–ख) के तहत आवेदन दिया गया जिसे स्वीकार करने में कलेक्टर ने त्रुटि की है ।

4– अनावेदक कमांक 1 एवं 2 प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है और उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर ने आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदकगण के पक्ष में किए गए भूमि विकय को संहिता की धारा 165 (7–ख) के विपरीत मानते हुए निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पर कार्यवाही करना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अनावेदिका का ना तो प्रश्नाधीन भूमि में कोई हित है और ना ही वह व्यथित पक्षकार है बल्कि उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों के इस तर्क को बल मिलता है कि जब वह प्रश्नाधीन भूमि को अनावेदक कमांक 2 से प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी और उसके द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद में वह सफल नहीं हो सकी तब उसके द्वारा शिकायती आवेदन

कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पर कार्यवाही करना अवैधानिक है । अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में भी उचित नहीं ठहराये जा सकते । न्यायदृष्टांत 1999 आर.एन. 363 मेंयह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पट्टा आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूमि का अंतरण किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर आवंटिती द्वारा भूमि का अंतरण किया जा सकता है । अन्य उद्धरित न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन के 10 वर्ष के पश्चात किया गया भूमि का विक्रय विधिमान्य है और जिलाध्यक्ष की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है पट्टा प्राप्ति से 10 वर्ष के उपरांत भूमि का विक्रय किया जाता है तो जिलाध्यक्ष की अनुमति आवश्यक नहीं है बकि प्रस्तुत प्रकरण में 26 वर्ष उपरांत अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदकों के पक्ष में भूमि का विक्रय किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–15 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–12 निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाकर राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर